

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-15, दिनांक-12.12. 2012

संख्या-3/एम-102/2007-16970/ भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा-शर्तों) नियमावली, 2010" में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा-शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2012" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा यह सचिवालय के विभागों एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगी।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली की कंडिका-3(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

"3(i) उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण या समकक्ष होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(नवीन चन्द्र झा)^{12.12.12}

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -3/एम0-102/2007सा०प्र०...16970.../पटना-15, दिनांक ...12.12., 2012

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।



(नवीन चन्द्र झा)^{12.12.12}

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -3/एम0-102/2007सा०प्र०...16970.../ पटना-15, दिनांक ...12.12., 2012

प्रतिलिपि - सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना/राज्य अभिलेखागार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/लोकायुक्त कार्यालय, पटना/प्रभारी, आई0डब्लू0डी0एम0एस0, टी0सी0एस0 कोषांग, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 12-12-2012

संख्या-3/एम-102/2007- 16971 / अधिसूचना सं- 16970 दिनांक-12-12-12 का निम्नलिखित अंगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

Government of Bihar
General Administration Department

NOTIFICATION

Patna, Dated- 12-12-2012

No.3/M-102/2007-GAD- 16971 /In exercise of Powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, is pleased to make the following amendment Rules to amend the "Bihar Group 'D' (recruitment & service condition) Rules, 2010":-

1. Short title, extent and commencement.- (1) These Rules may be called "The Bihar Group 'D' (recruitment & service condition) (amendment) Rules, 2012".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar and shall be equally applicable on the Secretariat departments and Muffasil offices.

(3) It shall come into force at once.

2. In these Rule, Rule- 3.(i) shall be substituted with the following as-

"3.(i) The minimum educational qualification of the candidates shall be Tenth (Matric) pass or equivalent."


By the order of the Governor of Bihar,


(Navin Chandra Jha)

Joint Secretary to the Govt.

ज्ञापांक -3/एम0-102/2007सांप्र० 16971 /पटना-15, दिनांक 12-12-2012

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव